

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

एफ 12 (4) आयो/सांख्यिकी /निकाशि/2013/3008-16

दिनांक 6.5.2013

सहायक निदेशक

कालेज शिक्षा राजस्थान,

जयपुर /जोधपुर /बीकानेर / कोटा /अजमेर/उदयपुर

विषय :- राज्य कर्मचारी गणना-77 (संदर्भित दिनांक 31.3.2013)

संदर्भ :- निदेशक एवं पदेन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान,जयपुर
के पत्रांक आर.ई.एस /डी.ई.एस/ रा.क.ग/77/2013/14669-786 दिनांक
12.4.2013

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संलग्न पत्र का अवलोकन करावें। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष राज्य कर्मचारी गणना की सूचना राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है। इसी क्रम में कालेज शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सूचना विभाग द्वारा तैयार कराकर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को भेजी जानी है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्राप्त संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशों को भली प्रकार पढ़ ले एवं सूचना भिजवाने से पूर्व यह जाँच ले कि प्रपत्र के कोई कालम रिक्त नहीं हो किसी कालम की सूचना शून्य है तो वहां शून्य अंकित करें। पांचों प्रपत्र एक दूसरे से सम्बन्धित है। यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रपत्रों में भरे जाने वाली सूचना का आपस में सामन्जस्य एवं एक रूपता हो। राज्य कर्मचारी गणना सं० 77 के रिक्त प्रपत्र www.statistics.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग में संचालित होने वाले समस्त राजकीय महाविद्यालय से राज्य कर्मचारी गणना सं. 77 निर्धारित प्रपत्रों में भरवाकर मंगवाये एवं इन्हें अपने संभाग स्तर पर इकजाई करवाकर निदेशालय को दिनांक 20 मई 2013 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सी.एम.खटीक)
संयुक्त निदेशक

एफ 12 (4) आयो/सांख्यिकी /निकाशि/2013 3008-16

दिनांक 6.5.2013

प्रतिलिपि

- 1 निदेशक एवं पदेन उपसचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर के पत्रांक आर.ई.एस /डी.ई.एस/ रा.क.ग/77/2013/14669-786 दिनांक 12.4.13 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2 उपनिदेशक आहरण एवं वितरण, कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि निदेशालय स्तर की सूचना उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
- 3 श्री धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता प्रभारी वेब साइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक:-आरईएस/डीईएस/रा.क.ग./77/2013/14669-786

दिनांक:-12-4-2013.

(4)

निदेशक
कालेज शिक्षा
शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग

विषय:- राजस्थान राज्य कर्मचारी गणना संख्या -77 (संदर्भित दिनांक 31.03.2013)

महोदय,

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष राज्य कर्मचारी गणना के अन्तर्गत राज्य के समस्त विभागों के माध्यम से आवश्यक सूचना एकत्रित करवाकर प्रतिवेदन के रूप में राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में संदर्भित दिनांक 31.03.2013 हेतु निर्धारित प्रपत्रों के दो सैट संलग्न हैं। इन प्रपत्रों को भरे जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रत्येक प्रपत्र के साथ दिये गये हैं। सूचना तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाए:-

1. नये वेतनमान के आधार पर दिनांक 31.03.13 को वेतन एवं भत्ते की राशि अंकित की जानी है। चाहे कर्मचारी का नये वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण हुआ है अथवा नहीं।
2. यदि किसी प्रपत्र में शाखा की सूचना शून्य है तो उसमें शून्य अंकित करते हुए प्रपत्र संलग्न किया जाए।
3. पांचों प्रपत्र एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रपत्रों में भरी जाने वाली सूचना का आपस में सामंजस्य एवं एकरूपता हो।
4. यदि गत वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में कर्मचारियों की संख्या में पाँच प्रतिशत से अधिक का अन्तर (वृद्धि या कमी) हो तो उसके कारणों का प्रपत्र के अन्त में उल्लेख किया जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग की सूचना निर्धारित प्रपत्रों में भरवाकर इस निदेशालय को दिनांक 31.05.2013 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें ताकि निर्धारित समयावधि में राज्य सरकार को इकजाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके। राज्य कर्मचारीगणना संख्या-77 के रिक्त प्रपत्र इस विभाग की वेबसाइट www.statistics.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न:- प्रपत्र (1 से 5 क.ख.) दो सैट।

भवदीय,

आ. कटवाड़ा

26.4.13

(0.50 0.10)

निदेशक एवं पदेन उप सचिव,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
राजस्थान, जयपुर।

प्रपत्र-1 को भरने के निर्देश:-

1. स्थाई कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे कर्मचारियों से है जो गणना दिनांक 31-3-13 को किसी भी पद पर स्थाई तथा:
(अ) जिनके वेतन का भुगतान कन्सोलिडेटेड फण्ड से होता है।
(ब) जो राज्य सरकार के किसी निश्चित नियम (आर.एस.एस.आर.) से प्रभावित होते हैं तथा
(स) जिनका वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान (रेगुलर स्केल्स) एवं पदेन भत्ते के अनुरूप किया जाता है।
2. अस्थाई कर्मचारियों से तात्पर्य ऐसे कर्मचारियों से है जो उक्त तीनों शर्तों को तो पूर्ण करते हैं परन्तु गणना दिनांक 31-3-13 को किसी भी पद पर स्थाई नहीं हैं।
3. स्थाई तथा अस्थाई दोनों प्रकार के कर्मचारियों में निम्नांकित कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया है:-
(क) जो कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर रखे जाते हैं।
(ख) जिनका वेतन नियमन किसी निर्धारित वेतनमान के अनुरूप नहीं होता है।
(ग) जो वर्कचार्ज के आधार पर रखे जाते हैं।
4. कर्मचारियों को उनके मूल वेतन तथा विशेष वेतन के योग के अनुसार कॉलम नम्बर-2 में दिखाए गए वेतन वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस वेतन में महंगाई भत्ते को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का विवरण प्रपत्र संख्या-2 के कॉलम नं.4 में तथा राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रपत्र संख्या-3 के कॉलम नं.4 में अंकित किया जाता है।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-77 दिनांक 31-3-2013
वेतन वर्गानुसार अराजपत्रित कर्मचारियों का माह मार्च/अप्रैल को देय वेतन

(राशि ₹ में)

विभाग का नाम: _____

क्र. सं.	वेतन वर्ग	वेतन एवं विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ते (कृपया मदवार अंकित करें)					योग (3+4+9)
				शहरी	मकान	सवारी	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6000 से कम								
2	6000-7000								
3	7000-8000								
4	8000-9000								
5	9000-10000								
6	10000-15000								
7	15000 एवं अधिक								
योग									

प्रपत्र संख्या-2 को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-
दिनांक 31-3-2013 को नए वेतनमान के आधार पर वेतन एवं भत्तों की राशि अंकित की जानी है चाहे कर्मचारी का नए वेतनमान में स्थिरीकरण हुआ है या नहीं।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-77 दिनांक 31-3-2013
वेतन वर्गानुसार राजपत्रित कर्मचारियों का माह मार्च/अप्रैल को देय वेतन

विभाग का नाम: _____

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वेतन वर्ग	वेतन एवं विशेष वेतन	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ते (कृपया मदवार अंकित करें)					योग (3+4+9)
				शहरी	मकान	सवारी	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25000 से कम								
2	25000-30000								
3	30000-35000								
4	35000-40000								
5	40000-45000								
6	45000-55000								
7	55000 एवं अधिक								
	योग								

प्रपत्र संख्या-3 को भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

1. इस प्रपत्र में केवल राजपत्रित अधिकारियों की सूचना ही सम्मिलित की जानी है।
2. कॉलम-3 में वेतन व विशेष वेतन के रूप में दी गई राशि ही अंकित की जानी है।
3. कॉलम-4 में महंगाई भत्ते की राशि अंकित की जानी है।
4. समस्त राजपत्रित अधिकारियों को देय शहरी भत्ता, मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता आदि पा रहे अधिकारियों की मासिक राशि को मदवार अन्य भत्ते कॉलम 5 से 8 में अंकित की जानी है।
5. कॉलम नम्बर 3, 4 व 9 का कुल योग कॉलम नम्बर-10 में दिया जाना है।
6. दिनांक 31-3-13 को नए वेतनमान के आधार पर वेतन एवं भत्तों की राशि।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-77 दिनांक 31-3-2013
संवर्गवार अराजपत्रित कर्मचारियों की सूचना

विभाग का नाम: _____

क्र.सं.	अराजपत्रित पदों के नाम	कुल कर्मचारियों की संख्या	वेतन एवं समस्त भत्तों के रूप में कुल भुगतान की गई राशि (₹)
1	2	3	4
1	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग		
2	मंत्रालयिक संवर्ग		
3	अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग		
4	अन्य जो उक्त में सम्मिलित नहीं हैं।		
	योग		

1. कॉलम नम्बर-3 में संबंधित अराजपत्रित कर्मचारियों की संवर्ग संख्या दी जानी है, इसका योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-5 के योग से मिलना चाहिए।
2. कॉलम नम्बर-4 का योग प्रपत्र संख्या-2 के कॉलम-10 के योग से मिलना चाहिए।
3. कॉलम नम्बर-3 का योग प्रपत्र संख्या-5 (क) के कॉलम नम्बर-10 के पूर्ण योग से भी मिला होना चाहिए।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-77 दिनांक 31-3-2013
संवर्गवार राजपत्रित अधिकारियों की सूचना

विभाग का नाम: _____

क्र.सं.	राजपत्रित पदों के नाम	कुल कर्मचारियों की संख्या	वेतन एवं समस्त भत्तों के रूप में कुल भुगतान की गई राशि (₹)
1	2	3	4
1	चिकित्सा संवर्ग (सभी प्रकार के)		
2	शिक्षा संवर्ग		
3	कृषि संवर्ग		
4	सांख्यिकी संवर्ग		
5	तहसीलदार संवर्ग		
6	लेखा संवर्ग		
7	अभियन्ता संवर्ग		
8	पुलिस संवर्ग		
9	यांत्रिक संवर्ग		
10	पशुपालन संवर्ग		
11	राज्य राजपत्रित संवर्ग		
12	अन्य जो उक्त में सम्मिलित नहीं है।		
	योग		

- कॉलम नम्बर-3 में संबंधित राजपत्रित अधिकारियों की संवर्ग संख्या दी जानी है, इसका योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम नम्बर-8 के योग से मिलना चाहिए।
- कॉलम नम्बर-4 का योग प्रपत्र संख्या-3 के कॉलम-10 के योग से मिलना चाहिए।
- कॉलम नम्बर-3 का योग प्रपत्र संख्या-5 (ख) के कॉलम नम्बर-11 के पूर्ण योग से भी मिला होना चाहिए।

क्र.सं.	जिले का नाम	6000 से कम	6000-7000	7000-8000	8000-9000	9000-10000	10000-15000	15000 एवं अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	सीकर								
25.	सिराही								
26.	टोंक								
27.	उदयपुर								
28.	धौलपुर								
29.	बारां								
30.	दौसा								
31.	राजसमन्द								
32.	हनुमानगढ़								
33.	करौली								
34.	राज्य से बाहर								
	योग								

प्रपत्र के भरने हेतु निर्देश:

1. इस प्रपत्र में केवल अराजपत्रित स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया जाना है।
2. मुख्यालय का स्टाफ जिस जिले में मुख्यालय स्थित है, में सम्मिलित किया जाना है।
3. हेप्टेशन इत्यादि पर जो स्टाफ लगा हुआ है, को उसी विभाग में सम्मिलित करते हुए कार्यरत जिले में ही दिखाया जाना है।
4. जिस कॉलम में शून्य हो उसमें डैश (-) अंकित करें।
5. कॉलम संख्या-10 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम संख्या-5 के योग से मिलान होना चाहिए।

राज्य कर्मचारी गणना संख्या-77 दिनांक 31-3-2013
जिलेवार एवं वेतन वर्गानुसार राजपत्रित अधिकारियों की सूचना

संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	25000 से कम	25000-30000	30000-35000	35000-40000	40000-45000	45000-55000	55000 एवं अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर								
2.	अलवर								
3.	बांसवाड़ा								
4.	बाड़मेर								
5.	भरतपुर								
6.	भीलवाड़ा								
7.	बीकानेर								
8.	बूंदी								
9.	चित्तौड़गढ़								
10.	चूरु								
11.	झारपुर								
12.	गंगानगर								
13.	जयपुर								
14.	जैसलमेर								
15.	जालौर								
16.	झालावाड़								
17.	झुंझुनू								
18.	जोधपुर								
19.	कोटा								
20.	नागौर								
21.	पाली								
22.	प्रतापगढ़								
23.	सवाई माधोपुर								

विभाग का नाम:

क्र.सं.	जिले का नाम	25000 से कम	25000-30000	30000-35000	35000-40000	40000-45000	45000-55000	55000 एवं अधिक	योग
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
24.	सीकर								
25.	सिरोही								
26.	टोंक								
27.	उदयपुर								
28.	धौलपुर								
29.	बांरा								
30.	दौसा								
31.	राजसमन्द								
32.	हनुमानगढ़								
33.	करोली								
34.	राज्य से बाहर योग								

प्रपत्र के भरने हेतु निर्देश:

1. इस प्रपत्र में केवल अस्थाई एवं स्थाई राजपत्रित कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया जाना है।
2. मुख्यालय का स्टाफ जिस जिले में मुख्यालय स्थित है, में सम्मिलित किया जाना है।
3. हेपुटेशन इत्यादि पर जो स्टाफ लगा हुआ है, को उसी विभाग में सम्मिलित करते हुए कार्यरत जिले में ही दिखाया जाना है।
4. जिस कॉलम में शून्य हो उसमें शेष (-) अंकित करें।
5. कॉलम संख्या-10 का योग प्रपत्र संख्या-1 के कॉलम संख्या-8 के योग से मिलान होना चाहिए।